सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– रामसुख गुर्जर आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या 29/2018 (2018/00089)

वादीगण

1. माया पत्नी कल्याण जाति खटीक उम्र 34 वर्ष निवासी अजमेर हाल निवासी कुचामनसिटी तहसील कुचामनसिटी।

बनाम

प्रतिवादीगण

1. राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार कुचामनसिटी (लेण्ड होल्डर)
2. उमंगचंद जैन पुत्र श्री अजय कुमार जाति जैन निवासी कुचामनसिटी।
3. आनन्दकंवर पत्नी गजेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी।
4. सरजू देवी पत्नी नानूराम जाति जाट निवासी कुचामनसिटी।
5. मधु कंवर पत्नी शैतानसिंह जाति चारण निवासी कुचामनसिटी।
6. नरेश खोरवाल पुत्र श्री रामेश्वर खोरवाल जाति रैगर निवासी कुचामनसिटी।
7. इन्द्रा पत्नी नरेश जाति रैगर निवासी कुचामनसिटी।
8. सुनिता पत्नी रामेश्वरलाल जाति रैगर निवासी कुचामनसिटी।

दावा अधिकारों की घोषणा, व रेकर्ड दुरूस्ती बाबत
अन्तर्गत धारा 88 व 89 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 एवं धारा 136 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थित :– श्री अशोक पुरी अधिवक्ता वादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक: 23/04/2018

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जसराना की सरहद में कृषि भूमि खसरा नं0 477 रकबा 2.05 है0, खसरा न0 478 रकबा 0. 27 है0 वादी की सहखातेदारी की आई हुई है।

आम सड़क खसरा नं0 481 से वादी के खेत खसरा नं0 477 व 478 में आने जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं0 466 आया हुआ है।

वादी के खेत खसरा नं0 477, 478 में आने जाने के लिए गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं0 446 की मौके की स्थिति व ट्रेस नक्शे की स्थिति में अन्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

राजस्व अधिकारियों द्वारा खसरा नं0 446 का अंकन मौके की स्थिति अनुसार ट्रेस नक्शे में नहीं किया गया है। ट्रेस नक्शा वाद के साथ संलग्न है एवं मौके की स्थिति अनुसार परिशिष्ट क वाद के साथ संलग्न है जिसे वाद का एक अभिन्न अंग समझा जावें।

प्रतिवादी सं0 2 ता 8 आये दिन वादी के आने–जाने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते रहते हैं क्योंकि ट्रेस नक्शे में अगल स्थिति पर रास्ता अंकित है एवं वर्तमान में रास्ता परिशिष्ट क के अनुसार स्थित है जिस पर पक्की सड़क बनी हुई है। ट्रेस नक्शे में राजस्व अधिकारियों द्वारा गलत अंकन किया गया है जिसे वादी रास्ते की स्थिति के अनुसार संशोधित करवाने के अधिकारी है।

वादी अपने खेत खसरा नं0 477 व 478 में वर्तमान में मौके पर स्थित रास्ता जिस पर पक्की सड़क बनी हुई है आवाजाही करती है।

वर्तमान में वादी के खेत खसरा नं0 477 व 478 में आने जाने के लिए रास्ता जिस पर पक्की सड़क बनी हुई है खसरा नं0 480 की पूर्वी सींव से होकर खसरा नं0 440 की पश्चिमी सींव के सहारे सहारे आगे खसरा नं0 721/441, 720/441 व 721/441 में से होकर खसरा नं0 478 व आगे खसरा नं0 477 में जाता है। मौके की स्थिति अनुसार वादी द्वारा परिशिष्ट क बनाया गयसा है जिसे वाद का एक भाग समझा जावें।

प्रतिवादी सं0 2 ता 8 आये दिन वादी के खेत खसरा नं0 477 व 478 मे आने जाने के रास्ते को बन्द करने की धमकिया देते हैं। यदि प्रतिवादी सं0 2 ता 8 राजस्व रेकर्ड में गलत अंकन के आधार पर मौके पर स्थित रास्ते को बन्द करने में सफल हो गये तो वादी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति होना असंभव होगा।

वादी अपने खेत खसरा नं0 477 व 478 में आने जाने के लिए गै0 मु0 रास्ता खसरा नं0 446 की स्थिति को राजस्व रेकर्ड में वर्तमान मौके की स्थिति को वर्तमान मौके की स्थिति के अनुसार संशोधित किया जाता है तो प्रतिवादीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं होगी।

वादी की इस्तदुआ निम्नलिखित है :–

डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वादी के खेत खसरा नं0 477 व 478 में आने जाने के लिए गै0 मु0 रास्ता खसरा नं0 446 को वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट क के अनुसार कायम किया जावे एवं इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में संशोधन फरमाया जावें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्ट्रर कर प्रतिवादीगण की सुनवाई हेतु तलबी जारी की गई। दिनांक 14/03/2018 को प्रतिवादीगण सं0 2 ता 8 की ओर से वकील श्री मेवाराम ने मय वकालतनामा के जबाब पेश किया। प्रतिवादी सं0 1 समन तामिल के बावजूद गैर हाजीर होने पर इकतरफा की गई। दिनांक 21.03.2018 को

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

प्रतिवादीगण का जबाब पेश, शामिल मिसल है। दिनांक 04.04.2018 को गवाह वादी का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का पेश किया, शामिल मिसल है। वकील वादी ने बहस सुनाई बहस सुनाते हुये कथन किया की ग्राम जसराना के गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 446 वाद पत्र के संलग्न परिशिष्ट क में रकबा 2867 वर्गमीटर की जगह 3530 वर्गमीटर कराने के आदेश फरमावें। खातेदारों की सहमति संलग्न वाद पत्र में है। वाद पत्र में संलग्न परिशिष्ट क के अनुसार रास्ता कायम किया जावें। वकील वादी की बहस एवं संलग्न सहमति पत्र, खतौनी, जबाब दावा, शपथ पत्र एवं वादी का वाद पत्र व संलग्न परिशिष्ट क आदि का अवलोकन एवं वकील वादी की बहस का मनन करने पर खातेदारान की सहमति होने पर वाद स्वीकार कर निम्नप्रकार आदेश पारित किया जाता है।

आदेश

ग्राम जसराना के गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 446 का रकबा 2867 वर्गमीटर की जगह 3530 वर्गमीटर कायम किया जाता है। परिशिष्ट क निर्णय का भाग रहेगा। तहसीलदार कुचामनसिटी परिशिष्ट क के अनुसार रकबा बढाया जाकर नियमानुसार तरमीम की जावें। डिक्री परचा भरा जाकर शामिल मिसल हो। तहसीलदार कुचामनसिटी को परिशिष्ट क के अनुसार तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु निर्णय की प्रति जारी हो।

निर्णय आज दिनॉक 23/04/2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी

(रामसुख गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी (नागौर)